न्यायालय जिला कलक्टर झालावाड (राज0)

मि0नं0 19 /प्रार्थना पत्र/21

राज्य सरकार जर्ये बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(फसल),
कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(विस्तार)झालावाड़

बनाम

01. उत्पादक पेकिंगकर्ता एवं वितरणकर्ता–सोना सीड्स कम्पनी,आजाद रोड़,बडवानी(म0प्र0)
02. वाहन चालक/मालिक श्री रामेश्वर पुत्र उड़दा,
    नाथूखेड़ा, कोहादिया, शाजापुर (म0प्र0)
    वाहन संख्या एमपी 13 जीए 2490 पिकअप 407

प्रार्थना पत्र बीज(नियंत्रण) आदेश 1983 एंव आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लघंन करने से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत कार्यवाही करने बाबत्।

....

आदेश

दिनांक 23.09.2021

प्रा0पत्र बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(फसल),कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)झालावाड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं । प्रा0पत्र में अंकन किया है कि दिनांक 25.06.2021 को घाटोली क्षेत्र में अज्ञात व्यक्ति द्वारा दुरभाष पर दी गई सूचना अनुसार मौके पर पंहुचा, सूचनानुसार एक पिकअप 407 वाहन एमपी 13 जीए 2490 में सोयाबीन बीज पाया गया वाहन चालक के पास बीज का बिल,बिल्टी नही होने पर बीज को संदेहास्पद मानते हुए सोयाबिन जेएस–9560 के 75 बेग व सोयाबीन जेएस–2034 के 20 बेग(प्रत्येक का वनज 30 किलो) कुल 28.50 क्विटंल जब्त कर थाना घाटोली में प्रथम सूचना रिपोर्ट 120 दर्ज करवाई व जब्त सोयाबिन को घाटोली से अकलेरा लाकर कय विकय सहकारी समिति,अकलेरा को सुपुर्द किया गया । राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला,कोटा द्वारा उक्त बीज नमूनो को मानक घोषित किया गया है।

हमने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में जब्त माल सोयाबिन जेएस–9560 के 75 बेग व सोयाबीन जेएस–2034 के 20 बेग(प्रत्येक का वनज 30 किलो) कुल 28.50 क्विटंल का अन्तरिम निस्तारण किया जाना है। चूंकि प्रकरण में 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना घाटोली में दर्ज की गई है व उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही सक्षम न्यायालय में की जानी है । किन्तु जब्त सोयाबिन बीज क्रय विक्रय सहकारी समिति,अकलेरा के कब्जे में रहने तो बीज शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील(Speedy and natural decay)किन्तु होने के कारण इसकी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव व खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जब्त माल सोयाबिन जेएस–9560 के 75 बेग व सोयाबीन जेएस–2034 के 20 बेग(प्रत्येक का वजन 30 किलो) कुल 28.50 क्विटंल के जरिये निलामी निस्तारण के आदेश दिये जाते है। बीज निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी(फसल),कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)झालावाड़ उक्त जब्त सोयाबिन का नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार बाजार दर के अनुरूप जरिये निलामी निस्तारण करवा कर अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को अमानत मद में जमा करावें।

उक्तानुसार प्राप्त राशि का अन्तिम निस्तारण थाना घाटोली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 120 के परिणाम स्वरूप माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुरूप होगा।

जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़